न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—182 / 2020 / 225 (2012 / 00082)

1. देवकरण पुत्र बालू, जाति जाट, निवासी ग्राम कानपुरा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. सूर्यप्रकाश पुत्र हजारी, जाति बैरवाा, निवासी ग्राम कटसूरा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 07.09.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 27 / 2020.

उपस्थितः—

1. श्री शशिकांत जोशी, वकील अपीलांट ।
2. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 12.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 0709.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी / अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा कानपुरा, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में अवस्थित है । वर्किंग जमाबंदी खसरा नंबर 2685, 2687 के हाल खसरा नंबर 2978 रकबा 3.48 हे0 आराजी प्रार्थी के नाम है एवं खसरा नंबर 6284 / 2978 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 6285 / 2978 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 6285 / 2978 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 6282 / 2978 रकबा 0.11 है0 आराजियात अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है एवं नक्शा सन् 1971—72 वर्किंग में उपरोक्त खसरा नंबर 2685 जिसके हाल खसरा नंबर 2978 बने है जो प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी में था एवं इसके ऊपर खसरा नंबर 2683 था जो कि सड़क के रूप में दर्ज है एवं हाल नक्शे में खसरा नंबर 6284 / 2978, 6285 / 2978, 6286 / 2978 गलत तरमीम कर दिये जो कि हाल नक्शे से स्पष्ट है एवं प्रतिवादी संख्या 1 हाल नक्शे में हुई त्रुटि के कारण प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि जिसके खसरा नंबर 2978 है, में अविधिक रूप से सीमाज्ञान की आड़ में प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई

अधिकार नहीं है । इस कारण प्रार्थी के उपयोग व उपभोग करने में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा अप्रार्थी बेदखल करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद तक अप्रार्थीगण एवं उसके परिवार, रिश्तेदार, एजेन्ट, अर्टोनीज को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे आवेदन पत्र की चरण संख्या 1 की सारणी अ व ब में वर्णित भूमि में सीमाज्ञान इत्यादि नहीं करे एव ंना ही पत्थर इत्यादि डाले एव ंना ही निर्माण करे एवं मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं प्रार्थी को उसके हक हिस्से की आराजी से महरूम नहीं करे । अधी0न्याया0 के समक्ष अप्रार्थी ने उपस्थित होकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश का जवाब प्रस्तुत किया एवं उपरोक्त जवाब के साथ आदेश 39 नियम 4 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 7.9.2020 द्वारा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 39 नियम 4 जा0दी0 स्वीकार कर दिनांक 10.8.2020 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । दावाकृत भूमि हाल खसरा नंबर 6284/2978, 6285/2978, 6286/2978 राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नंबर 2978 रकबा 3.00 है0 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त खसरा नंबर 2978 में से कुल रकबा 0.48 है0 तीन अलग–अलग विक्रय पत्रों से प्रार्थी व उसकी माता से जरिये विक्रय पत्र क्रय किया था । प्रार्थी ने उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें हाल खसरा नंबर 6284/2978 रकबा 0.08 है0 हाल नक्शे में गलत तरमीम होने के कारण मुख्य सड़क के पास अंकित हो गया जिसकी शुद्धि आवेदन व वाद पत्र में करवाने के लिए जानकारी होते ही अविलम्ब अधी0न्याया0 के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया एवं उपरोक्त आवेदन पत्र स्वीकार करने के उपरांत भी संशोधित प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रस्तुत करने अवसर दिये बिना अधी0न्याया0 द्वारा आदेश 39 नियम 4 जा0दी0 के तहत पारित अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया गया जबकि अधी0न्याया0 द्वारा अंतरिम आदेश ही दिया गया था । अधी0न्याया0 को प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को यथावत् रखकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अप्रार्थी को अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने, निर्माण करने की एक प्रकार से छूट प्रदान कर दी है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 7.9.2020 निरस्त किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार किया जावे तथा अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में दर्शायी आराजियात वर्किंग जमाबंदी खसरा नंबर 2685, 2687 के हाल खसरा नंबर 2978 रकबा 3.48 है0 आराजियात प्रार्थी के नाम है एवं खसरा नंबर 6284/2978 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 6285/2978 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 6285/2978 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 6282/2978 रकबा 0.11 है0 से प्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल नहीं करे एवं विधिविरूद्ध तरीके से हटावे नहीं तथा प्रार्थी को उसकी भूमि से

महरूम नहीं करे ओर ना ही कब्जा काश्त में दखल करे एवं बय, बेचान, रहन या अन्य तरीके से हस्तातंरण नहीं करे एवं नक्शे में सही तरमीम करे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष गलत तथ्यों का वर्णन कर दिनांक 10.8.2020 को एकतरफा में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त किया था । अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम कानपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर स्थित खाता संख्या 662/631 के खसरा नंबर 2978 रकबा 3.48 है0 में से रकबा 0.16 है0 भूमि प्रार्थी व उसकी माता श्रीमती राधा से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के दिनांक 10.11.2014 को क्रय की थी जिसकी सीमायें पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकित की गई थी जिसके अनुसार पूरब में 40 मीटर (खसरा नंबर 2978 की पूरब दिशा की सीमा से 90 मीटर छोड़कर) पश्चिम में 40 मीटर, उत्तर में 40 मीटर पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क से लगती हुई एवं दक्षिण में 40 मीटर। इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0 अजमेर मण्डल कार्यालय द्वारा ग्राम कानपुरा में किसान सेवा केन्द्र पेट्रोल पम्प हेतु अनुसूचित जाति हेतु विज्ञप्ति जारी की थी जिस हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ने आवेदन किया तथा आई0ओ0सी0 की शर्तो के अनुसार उक्त भूमि में से 1600 वर्गमीटर भूमि को दिनांक 9.9.2016 को कार्यालय विहित प्राधिकारी, जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा वाणिज्यिक हेतु संपरिवर्तन किया गया जिसमें से 1100 वर्गमीटर वाणिज्यिक पैट्रोल पंप हेतु व 500 वर्गमीटर खुले क्षेत्र के रूप में रखने हेतु संपरिवर्तित किया गया जिस पर विगत साढे तीन साल से भी अधिक समय से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आई0ओ0सी0 का उपरोक्त पेट्रोल पंप संचालित किया जा रहा है । तत्पश्चात् कॉर्पोरेशन व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपरोक्त संचालित पेट्रोल पम्प पर सड़क के दोनो और से वाहनों के आने जाने हेतु घुमाव हेतु विस्तार की आवश्यकता होने के कारण अप्रार्थी द्वारा दिनांक 11.9.2015 को प्रार्थी से खाता संख्या 662/631 के खसरा नंबर 2978 के रकबा 3.32 है0 में से 0.16 है0 भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रीत की गई भूमि की सीमायें व नजरी नक्शा विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि बेचान की जा रही भूमि में से 20 X 40 वर्गमीटर भूमि खसरा नंबर 2978/1 व 2978/2 की पूर्व दिशा की समानातंरण लगती हुई व 20 X 40 वर्गमीटर भमि पश्चिम दिशा की सीमा के समानातंर लगती हुई है, को विक्रय किया था। तत्पश्चात् उपरोक्त खाता संख्या 314/662 के खसरा नंबर 2978 के 3.16 है0 के भाग में से 0.16 है0 भूमि 20 X 40 वर्गमीटर जो कि उपरोक्त खसरा नंबर 2978/1 की दक्षिण दिशा की सीमा के समानातंर लगती हुई है, को अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी से दिनांक 17.3.2017 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय किया था जिसका पंजीयन दिनांक 24.3.2017 को किया गया । इस तरह अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपरोक्त खसरा नंबर 2978 के कुल रकबे में से कुल 0.48 है0 भूमि अर्थात् कुल तीन बीघा भूमि क्रय की गई है जिसकी सीमायें पूर्णत स्पष्ट है । प्रार्थी की नियत में खोट आ जाने के कारण वह अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रीत की भूमि पर कब्जा करना चाहता है । अपीलांट विवादित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्रों एवं उसमें अंकित सीमाओं एवं नजरी नक्शे का अवलोकन करने के उपरांत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 जा0दी0 स्वीकार कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की

जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2015 पेज 210, 208 हाई कोर्ट, आर0बी0जे0 2016 पेज 244, डी0एन0जे0 2011 राज0 पेज 11, आर0आर0टी0 2007 पेज 488, आर0आर0टी0 2006 पेज 623, आर0आर0डी0 2003 पेज 533, डब्ल्यू0एल0सी0 2000 राज0 यू0सी0 पेज 47, आर0आर0टी0 2001 पार्ट–1 पेज 1375 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात पुराना खसरा नंबर 2685 एवं 2687 जिसके हाल खसरा नंबर 2978 रकबा 3.48 है0 बने है, उपरोक्त आराजी का खातेदार काश्तकार प्रार्थी है । इसी प्रकार सारणी ब में अंकित हाल आराजी खसरा नंबर 6284/2978 रकबा 0.08 है0, 6285/2978 रकबा 0.08 है0, 6286/2978 रकबा 0.16 है0, 6282/2978 रकबा 0.11 है0 भूमियों के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 है । नक्शा सन् 1971–72 वर्किंग में उपरोक्त खसरा नंबर 2685 जिसके हाल खसरा नंबर 2978 बने है जो प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी में था एवं इसके उपर खसरा नंबर 2683 जो कि सड़क के रूप में दर्ज है एवं हाल नक्शे में खसरा नंबर 6284/2978, 6285/2978, 6286/2978 गलत तरमीम कर दिये है जो कि हाल नक्शे से स्पष्ट है । प्रतिवादी संख्या 1 हाल नक्शे में हुई त्रुटि के कारण प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि जिसके ासरा नंबर 2978 है में अवैधानिक रूप से सीमाज्ञान की आड़ में प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अप्रार्थी संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि खाता संख्या 2978 पूर्व में प्रार्थी व उसकी माता श्रीमती राधा के नाम खातेदारी की दर्ज भूमि थी जिसका पूर्व में रकबा 3.48 है0 था । उक्त खसरा नंबर 2798 के कुल रकबा 3.48 है0 में से 0.16 है0 भूमि प्रार्थी की माता श्रीमती राधा व प्रार्थी ने दिनांक 10.11.2014 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के बेचान कर दी थी । उक्त विक्रय पत्र मे ंविक्रीत भूमि की नाप व सीमाएं स्पष्ट रूप से अंकित की गई थी जिसके वर्तमान तरमीमी खसरा नंबर 6282/2978 दर्ज है । तत्पश्चात् प्रार्थी ने उक्त खातेदारी की आराजी के शेष रकबा 3.32 है0 में से 0.16 है0 भूमि का बेचान दिनांक 11.9.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के किया उक्त विक्रय पत्र में भी नाप व सीमाएं स्पष्ट रूप से अंकित की गई है । तत्पश्चात् प्रार्थी के उपरोक्त खसरा नंबर 2978 में शेष 3.16 है0 भूमि में से 0.16 है0 भूमि दिनांक 17.3.2017 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय किया गया है जिसमें भी नाप व सीमाएं स्पष्ट रूप से अंकित की गई है । इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नंबर 2978 के कुल रकबा 3.48 है0 में से 0.48 है0 भूमि क्रय की है तथा वर्तमान मे ंखसरा नंबर 2778 का शेष रकबा 3.00 है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है । अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रीत भूमि के तरमीमी नंबर 6284/2978 रकबा 0.08 है0, 6285/2978 रकबा 0.08 है0 एवं 6286/2978 रकबा 0.16 है0 एवं 6282/7978 रकबा 0.11 है0 भूमि रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज है जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 काबिज चला आ रहा है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 का पेट्रोल पम्प बना हुआ है । पेट्रोल पम्प संपरिवर्तन की कार्यवाही के समय राजस्व मानचित्र की व मौके की जांच कर के ही राजस्व मानचित्र में तरमीम की गई है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान की गई भूमि के कुछ भाग पर दुकाने

बनाकर अतिक्रमण कर लिया है इस कारण सीमाज्ञान नहीं करवाना चाहता है । अप्रार्थी संख्या 1 अपनी क्रयशुदा आराजी के चारो तरफा बाउण्ड्रीवाल बनवा रहा है जिससे प्रार्थी को कोई क्षति नहीं होगी । अतः प्रार्थना पत्र धारा 212 निरस्त किया जावे ।

7. अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 10.8.2020 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक पाबंद किया कि आराजी मुतनाजा के मौके की यथास्थिति बनाये रखे । कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी पर प्रस्तुत करे । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । दिनांक 25.8.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर वकालनामा जवाब व प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 जा0दी0 पेश कर अंतरिम अस्थायी अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 7 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादपत्र में हाल खसरा नंबर 6284/2978 रकबा 0.08 है0 हाल नक्शे में गलत तरमीम होने के कारण सड़क के पास अंकित हो गया जबकि हाल खसरा नंबर 6285/2978 रकबा 0.08 है0 के साथ तरमीम होना था एवं उक्त गलत तरमीम के कारण मौके पर प्रार्थी का रकबा कम हो गया जिसकी शुद्धी करवाने के लिए उपरोक्त वादपत्र पेश किया गया है जिसकी शुद्धि करने का आदेश प्रदान करावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी संख्या 2978 पूर्व में प्रार्थी व उसकी माता श्रीमती राधा के नाम खातेदारी की दर्ज भूमि थी जिसका पूर्व में रकबा 3.48 है0 था । उक्त खसरा नंबर 2798 के कुल रकबा 3.48 है0 में से 0.16 है0 भूमि प्रार्थी की माता श्रीमती राधा व प्रार्थी ने दिनांक 10.11.2014 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के बेचान कर दी थी । उक्त विक्रय पत्र मे विक्रीत भूमि की नाप व सीमाएं स्पष्ट रूप से अंकित की गई थी जिसके वर्तमान तरमीमी खसरा नंबर 6282/2978 दर्ज है । तत्पश्चात् प्रार्थी ने उक्त खातेदारी की आराजी के शेष रकबा 3.32 है0 में से 0.16 है0 भूमि का बेचान दिनांक 11.9.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के किया उक्त विक्रय पत्र में भी नाप व सीमाएं स्पष्ट रूप से अंकित की गई है । तत्पश्चात् प्रार्थी के उपरोक्त खसरा नंबर 2978 में शेष 3.16 है0 भूमि में से 0.16 है0 भूमि दिनांक 17.3.2017 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय किया गया है जिसमें भी नाप व सीमाएं स्पष्ट रूप से अंकित की गई है । इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नंबर 2978 के कुल रकबा 3.48 है0 में से 0.48 है0 भूमि क्रय की है तथा वर्तमान मे खसरा नंबर 2978 का शेष रकबा 3.00 है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है । अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रीत भूमि के तरमीमी नंबर 6284/2978 रकबा 0.08 है0, 6285/2978 रकबा 0.08 है0 एवं 6286/2978 रकबा 0.16 है0 एवं 6282/7978 रकबा 0.11 है0 भूमि रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज है जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 काबिज चला आ रहा है । खसरा नंबर 2978 में से 1100 वर्गमीटर पर अप्रार्थी संख्या 1 का पेट्रोल पंप संचालित है । पेट्रोल पंप संपरिवर्तन की कार्यवाही के समय राजस्व मानचित्र की व मौके की जांच कर राजस्व मानचित्र में तरमीम की गई है । अप्रार्थी संख्या 1 हाल खसरा नंबर 6284/2978, 6285/29778 एव 6286/2978 का रिकार्डेड खातेदार होकर काबिज है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से विवादित भूमियों के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की है जिसमें भी अप्रार्थी संख्या 1 को क्रयशुदा आराजी पर काबिज होना पाया है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड काबिज खातेदार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है ।

प्रकरण के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के मध्य तरमीम एवं सीमाज्ञान को लेकर विवाद है । प्रार्थी को विवादित आराजियात की तरमीम एवं सीमाज्ञान हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष चाराजोही करनी चाहिये । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण तथ्यों का विवेचन कर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 जा0दी0 स्वीकार कर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 10.8.2020 को निरस्त किया है जो विधिसम्मत् है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.9.2020 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,